भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1049

उत्तर देने की तारीख 27 जून, 2019

6 आषाढ़, 1941 (शक)

प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान

1049. श्री दिलीप साईकियाः

श्री नारणभाई काछड़ियाः

श्रीमती मीनाक्षी लेखीः

श्री संजय सेठः

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाशाली युवाओं की पहचान करने और उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल विधाओं हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कोई नीति प्रारंभ की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्राधिकरणों की स्थिति क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान खेल योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों और खेल प्राधिकरणों को राज्य/योजना-वार आंवटित और व्यय की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों में महिला भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु कोई विशेष उपाय किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में विशेषकर झारखण्ड ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में खेलों को बढ़ावा देने लिए क्या पर्याप्त कदम उठाए हैं; और

(च) विशेषकर झारखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में खेल को बढ़ावा देने हेतु खेल अवसंरचना गतिविधियों के लिए विगत तीन वर्षों व चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार व वर्ष-वार कितनी राशि दी गई है?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण, ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिभा का पता लगाने और उनका पोषण करने सहित खेलों के संवर्धन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है । भारत सरकार खेलो इंडिया, राष्ट्रीय

खेल परिसंघों को सहायता तथा भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) केन्द्रों में प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने जैसी अपनी विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत राज्य सरकारों और राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) के प्रयासों की पूर्ति करती है । खेलो इंडिया स्कीम में "प्रतिभा पहचान और विकास" और "वार्षिक खेल प्रतियोगिताएं" नामक घटक हैं ।

(ख) साई ने देश भर में 273 खेल केंद्र स्थापित किए हैं । ये केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों सहित खिलाड़ियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करते है । इस समय इन प्रशिक्षण केन्द्रों में 27 खेल विधाओं में 14236 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है ।

(ग) खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत खेलों के विकास के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी करने संबंधी सूचना अनुबंध में दी गई है । साई द्वारा संचालित प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी नहीं की जाती ।

(घ) 273 साई प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षित किए जा रहे 14236 खिलाड़ियों में से 4269 लड़कियां हैं । खेलो इंडिया स्कीम में महिलाओं की प्रतिभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए "महिलाओं के लिए खेल" घटक शामिल है । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं के वार्षिक कैलेंडर के लिए एनएसएफ के प्रस्तावों पर विचार करते समय सरकार राष्ट्रीय खेल परिसंघों से विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए आग्रह कर रही है ।

(ङ) यह मंत्रालय खेल विद्यालयों की स्थापना नहीं करता । ग्रामीण क्षेत्रों और झारखंड सहित देश में खेल विद्यालयों की स्थापना संबंधी विषय राज्य सरकारों का है ।

(च) जैसा कि उपर्युक्त (ग) के उत्तर में दिया गया है ।

*****

<u>अनुबंध</u>

प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान के संबंध में श्री दिलीप साईकिया, श्री नारणभाई काछड़िया, श्रीमती मीनाक्षी लेखी, श्री संजय सेठ, माननीय संसद सदस्यों द्वारा दिनांक 27.06.2019 के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1049 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध ।

विगत तीन वित्तीय वर्षों 2018-19 के दौरान खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत जारी निधियों का राज्य-वार ब्यौरा:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19
1.	आंध्र प्रदेश	6.50	4.00	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.50	15.25	39.50
3.	असम	3.50	15.20	6.32
4.	छत्तीसगढ़	-	2.50	-
5.	गुजरात	2.50	5.50	-
6.	गोवा	-	-	3.00
7.	हरियाणा	2.00	12.50	6.95
8.	हिमाचल प्रदेश	-	-	2.50
9.	जम्मू और कश्मीर	1.80	1.00	-
10.	झारखंड	1.00	1.07	-
11.	कर्नाटक	9.80	12.50	9.50
12.	केरल	2.50	3.00	4.00
13.	मध्य प्रदेश	3.50	10.50	4.14
14.	महाराष्ट्र	4.00	7.00	19.87
15.	मणिपुर	-	5.29	9.00
16.	मिजोरम	2.00	4.30	-
17.	नागालैंड	-	2.00	5.00
18.	ओडिशा	2.50	11.56	0.69
19.	पंजाब	4.64	6.00	-
20.	राजस्थान	5.44	36.12	11.36
21.	सिक्किम	-	-	3.00
22.	तमिलनाडु	-	7.00	-
23.	तेलंगाना	2.00	6.50	4.00

24.	त्रिपुरा	-	2.50	-
25.	उत्तराखंड	4.00	9.30	1.00
26.	उत्तर प्रदेश	1.50	15.00	43.43
27.	पश्चिम बंगाल	-	6.50	-
28.	पुदुचेरी	4.46	-	3.00
29.	दिल्ली	-	16.08	-
कुल		**66.14**	**218.17**	**176.26**

***